



राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2021

जयपुर, दिनांक : 12-05-2021

आज्ञा

कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु श्री हनुमान मल ढाका, आर.ए.एस., सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर की सेवाएँ अस्थाई रूप से शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर को अग्रिम आदेशों तक सौंपी जाती है।

कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु श्री राम स्वरूप, आर.ए.एस., सचिव, अम्बेडकर पीठ, जयपुर की सेवाएँ अस्थाई रूप से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर को अग्रिम आदेशों तक सौंपी जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 सिस्टम-एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव